

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह  
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,  
झारखण्ड,  
पो०-हिनू, राँची।

राँची, दिनांक :- 14.09.2018

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना अन्तर्गत चांडिल बांयी मुख्य नहर के कि०मी० 94.20 से निःसृत OL-44 पम्प कैनल (Pump Canal) के संचालन हेतु विद्युतीकरण कार्य के भुगतान हेतु रु० 41,55,298.00 (रूपये एकतालीस लाख पचपन हजार दो सौ अन्ठानवे) मात्र की राशि की एकमुस्त अग्रिम निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,


आदेश स्वीकृत।

- सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना के कार्यों हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति जल संसाधन विभाग के पत्रांक- 19/10-11 दिनांक 14.10.2010 द्वारा प्रदान की गयी है।
- परियोजनान्तर्गत लघु वितरणी प्रमण्डल सं०-7, गालूडीह अन्तर्गत OL-44 पम्प कैनल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 46.05 लाख का कार्यक्रम निर्धारित है।
- चांडिल बांयी मुख्य नहर के कि०मी० 94.20 से निःसृत OL-44 पम्प कैनल (Pump Canal) के संचालन हेतु विद्युतीकरण कार्य के भुगतान हेतु रु० 41,55,298.00 (रूपये एकतालीस लाख पचपन हजार दो सौ अन्ठानवे) मात्र की राशि Accounts Officer, Electric Supply Circle, Jamshedpur को उपलब्ध कराया जाना है।
- वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी एवं झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत ज्ञाप संख्या- एम०-4-05/98-2561(वि०)(2) दिनांक 17.04.1998 की कंडिका-15 एवं 16 तथा कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमण्डल सं०-7, गालूडीह के पत्रांक- 83 दिनांक 22.02.2018 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में विषयांकित कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमण्डल सं०-7, गालूडीह को एक मुश्त अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


क्र०	प्रमंडल का नाम	अग्रिम प्राप्तकर्ता	स्वीकृत अग्रिम की राशि
1	2	3	4
1.	कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमण्डल सं०-7, गालूडीह	Accounts Officer, Electric Supply Circle, Jamshedpur	रु० 41,55,298.00
कुल :-			रु० 41,55,298.00

6. अग्रिम निकासी की राशि जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के आवंटन में वर्णित शीर्ष 49C-4700-80-789-12-05-45 के अन्तर्गत उपलब्ध आवंटित राशि से भारित होगा।
7. अग्रिम निकासी हेतु आवंटित राशि वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत है तथा संबंधित अवधि में राशि व्यय करने के लिये विभाग को सक्षमता है।
8. अग्रिम निकासी प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार की अनुमति प्राप्त है।


विश्वासभाजन,

  
(अरुण कुमार सिंह) 11.9.18  
सरकार के अपर मुख्य सचिव


पत्रांक:-1/पी०एम०सी०/कार्य/779/13 खण्ड-'1'- 833/राँची, दिनांक :- 14.09.2018  
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, घाटशिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(अरुण कुमार सिंह) 11.9.18  
सरकार के अपर मुख्य सचिव


पत्रांक:-1/पी०एम०सी०/कार्य/779/13 खण्ड-'1'- 833/राँची, दिनांक :- 14.09.2018  
प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमण्डल सं०-7, गालूडीह/अधीक्षण अभियंता, बराज अंचल, गालूडीह/मुख्य अभियंता, चांडिल कॉम्प्लेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
(अरुण कुमार सिंह) 11.9.18  
सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांक:-1/पी०एम०सी०/कार्य/779/13 खण्ड-'1'- 833/राँची, दिनांक :- 14.09.2018  
प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना -सह- वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(अरुण कुमार सिंह) 11.9.18  
सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांक:-1/पी०एम०सी०/कार्य/779/13 खण्ड-'1'- 833/राँची, दिनांक :- 14.09.2018  
प्रतिलिपि :- वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



  
(अरुण कुमार सिंह) 11.9.18  
सरकार के अपर मुख्य सचिव